पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित नीतियों का वर्णन कीजिए।

परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। किंतु ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे। इसलिए इनके सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाई हैं।

पिछड़े वर्ग का अर्थ (Meaning)

पिछड़े वर्ग वे वर्ग हैं जो सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े हुए हैं और जिन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इनके विकास के लिए सरकार विशेष नीतियाँ एवं कार्यक्रम संचालित करती है।

पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित नीतियाँ

1. शिक्षा संबंधी नीति

शिक्षा पिछड़े वर्गों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है।

प्रमुख प्रावधान

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं वर्दी।

छात्रावास की सुविधा।

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग।

उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।

उद्देश्य: शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण।

2. आरक्षण नीति (Reservation Policy)

संविधान में पिछड़े वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

समान अवसर प्रदान करना।

सामाजिक न्याय स्थापित करना।

सरकारी सेवाओं एवं शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना।

3. आर्थिक विकास नीति

सरकार पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ संचालित करती है।

प्रमुख कार्यक्रम

स्वरोजगार योजनाएँ।

कौशल विकास प्रशिक्षण।

कम ब्याज पर ऋण।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) का गठन।

4. सामाजिक सुरक्षा नीति

पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं।

प्रमुख योजनाएँ

वृद्धावस्था पेंशन।

विधवा पेंशन।

दिव्यांग पेंशन।

खाद्य सुरक्षा योजनाएँ।

आवास सहायता योजनाएँ।

5. स्वास्थ्य एवं पोषण नीति

प्रमुख प्रावधान

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ।

टीकाकरण कार्यक्रम।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ।

पोषण अभियान।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार।

6. कौशल विकास एवं रोजगार नीति

उद्देश्य

रोजगार के अवसर बढ़ाना।

युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

7. संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण

भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(4): सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद 16(4): सरकारी सेवाओं में आरक्षण।

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति।

अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्ग आयोग की व्यवस्था।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।

प्रधानमंत्री आवास योजना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

नीतियों का महत्व

1. सामाजिक न्याय की स्थापना।

2. शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

3. गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी।

4. आर्थिक आत्मनिर्भरता।

5. सामाजिक समानता एवं समावेशी विकास।

6. राष्ट्रीय विकास में पिछड़े वर्गों की भागीदारी।

चुनौतियाँ

योजनाओं की जानकारी का अभाव।

भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक विलंब।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी।

सामाजिक भेदभाव।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना।

सुझाव

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

योजनाओं की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाए।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए।

निष्कर्ष

पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित नीतियाँ भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय, समानता एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन नीतियों का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इनका प्रभावी क्रियान्वयन भारत में समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करता है।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. Friedlander, Walter A. (1977). Concepts and Methods of Social Work. Prentice Hall

of India.

2. Titmuss, Richard M. (1974). Social Policy: An Introduction. George Allen & Unwin

3. Kulkarni, P. D. (1979). Social Policy and Social Development in India. Association of Schools of Social Work in India.

4. Dubey, S. N. (2015). Social Work: An Integrated Approach. New Royal Book Company.

5. गोयल, एस. एल. एवं गोयल, राकेश. (2018). सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक नीति. आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

6. सिंह, आर. बी. एस. (2016). समाज कार्य एवं सामाजिक नीति. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।